छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

<u>शिकायत प्रकरण क्रमांक 445/2006</u>

श्रीमती अंजू चन्द्रशेखर तिवारी,
सुमांगी विला स्टेडियम के पास,
शहीद मनमोहन सिंह बक्शी वार्ड–12,
कोटा, रायपुर (छत्तीसगढ़) .... आवेदक

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
कार्यालय सचिव,
कृषि उपज मण्डी समिति, ... अनावेदक
रायपुर (छत्तीसगढ़)

:: आदेश ::

(दिनांक 24 नवम्बर 2006)

श्रीमती अंजू चन्द्रशेखर तिवारी के द्वारा छत्तीसगढ़ सूचना आयोग को शिकायत की गई कि सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, रायपुर से आवेदन पत्र दिनांक 12–04–2006 एवं 05–06–2006 से आवेदन पत्र में लिखित जानकारी चाही गई थी। सचिव के द्वारा सूचित किया गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–8(डी) के अंतर्गत वांछित जानकारी से व्यापारियों के संरक्षित व्यवसाय एवं वाणिज्यिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा उनके वाणिज्यिक विश्वास एवं व्यापार की गोपनीयता का उल्लंघन होगा, अतः उन्होंने जानकारी देने में असमर्थता व्यक्त की, जिसके विरूद्ध यह शिकायत की गई। शिकायत प्राप्त होने पर आयोग के द्वारा सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति (सूचना अधिकारी) को नोटिस जारी किया गया। सचिव के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया।

2/ आयोग के द्वारा तृतीय पक्ष की सुनवाई आवश्यक मानते हुए आदेश दिनांक 05–10–2006 के द्वारा अध्यक्ष थोक व्यापारी संघ, अध्यक्ष प्रदेश संघ मिलर्स एसोसियेशन, अध्यक्ष, चेम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया गया। उक्त तीनों एसोशियेशन के द्वारा लिखित में अपने जवाब प्रस्तुत किये गए। उक्त तीनों एसोसियेशन ने यह आपत्ति की कि व्यापारियों से संबंधित जानकारी असंबंद्ध व्यक्ति को दिए जाने से उसका दुरूपयोग हो सकता है तथा उन्हें आर्थिक क्षति हो सकती है। अतः व्यापारियों का लेखाजोखा न देकर केवल मण्डी समिति को जो आय होती है, उसकी जानकारी दी जावे। आयोग के द्वारा आवेदक एवं मण्डी सचिव के द्वारा प्रस्तुत तर्को को भी सुना गया तथा अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

3/ प्रकरण से स्पष्ट होता है कि आवेदक ने सर्वप्रथम आवेदन पत्र दिनांक 28.02.2006 के द्वारा छः बिन्दुओं पर जानकारी चाही जिसमें कि 01 अप्रेल 2004 से जनवरी 2006 तक मण्डी क्षेत्र के अंतर्गत कोल्ड स्टोरेज एवं व्यापारी के गोदामों में वनोपज से संबंधित भंडारण की जानकारी चाही गई। साथ ही अनुज्ञा पत्रों एवं फर्म के नाम एवं मण्डी शुल्क तथा मण्डी में वनोपज की आवक के बारे में जानकारी चाही। आवेदक ने 01 अप्रेल 2004 से 20 फरवरी 2006 तक मण्डी क्षेत्र में जीरा, हल्दी तथा सरसों, धनिया एवं मिर्ची की जानकारी भी चाही। आवेदक के द्वारा 01 अप्रेल 2005 से 20 फरवरी 2006 तक चावल–कनकी का अनुज्ञा पत्र किन–किन फर्मो को जारी किया गया आदि की भी जानकारी चाही गई। सूचना अधिकारी के द्वारा आवेदक को पत्र दिनांक 27.03.2006 से सूचित किया गया कि कोल्ड स्टोरेज से संबंधित जानकारी हेतु 216/– रूपए जमा करें तथा जानकारी प्राप्त करें। आवेदक के द्वारा दिनांक 08.04.2006 को राशि जमा की गई तथा सूचना अधिकारी, सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति के द्वारा 105 पृष्ठों की जानकारी आवेदक को दी गई जिसमें कि मण्डी क्षेत्र में स्थित कोल्ड स्टोरेज में रखी गई वनोपज की जानकारी, चावल एवं कनकी की अनुज्ञा पत्र की जानकारी, 01 अप्रेल 2004 से 20 फरवरी 2006 तक चावल कनकी आदि की जानकारी तथा 01 अप्रेल 2004 से 20 फरवरी 2006 तक की अवधि की वनोपज की आवक की जानकारी तथा प्राप्त मण्डी शुल्क एवं अनुज्ञा पत्र जारी किये गये फर्मो की 01 अप्रेल 2004 से फरवरी 2006 तक की जानकारी दी गई तथा अनुज्ञा पत्र पंजी की छायाप्रति भी दी गई। आवेदक ने दिनांक 18.04.2006 को पुनः आवेदन पत्र सचिव, मण्डी को दिया जिसमें कि कोल्ड स्टोरेज में रखे गए सामग्री के मालिकों के लाइसेंसधारी होने तथा अनुज्ञा पत्र एवं लाइसेंस की सत्यप्रतिलिपि की जानकारी मांगी। इसी प्रकार महुआ, इमली एवं चारगुठली के कोल्ड स्टोरेज के लाइसेंसधारियों की जानकारी भी चाही। इस प्रकार आवेदक के द्वारा विस्तृत रूप से सात बिन्दुओं की जानकारी चाही गई, जिसके संबंध में आवेदक को सूचित किया गया कि धारा–8(डी) के अंतर्गत व्यापारिक संबंधों की विश्वसनीयता की जानकारी आवेदक को नहीं दी जा सकती।

4/ प्रकरण से यह स्पष्ट है कि आवेदक के द्वारा पूर्व में मांगी गई बिन्दुओं की जानकारी सूचना अधिकारी के द्वारा निर्धारित अवधि में अभिलेख शुल्क जमा होने पर आवेदक को दी जा चुकी है। आवेदक प्रत्येक जींस के अनुज्ञा पत्र, मण्डी शुल्क, क्रय आदि की जानकारी विस्तृत रूप से और चाह रही है। व्यापारी संघों के द्वारा बतलाया गया कि आवेदक व्यापारियों को ब्लैकमेलिंग करने के लिए जानकारी चाहता है। इसमें जनहित की कोई जानकारी नहीं है। सूचना अधिकारी, सचिव कृषि उपज मंडी समिति रायपुर के द्वारा बतलाया गया कि आवेदक को आवेदन–पत्र दिनांक 18–04–2006 के आवेदन–पत्र की कंडिका–1, 2, 5 में जिन व्यापारियों के बारे में यह जानकारी चाही गई है कि वे लायसेंसधारी हैं अथवा नहीं, तथा उनके द्वारा कितना मण्डी शुल्क जमा कराया गया है, यह जानकारी देने में आपत्ति नहीं है। किन्तु आवेदक अनुज्ञा–पत्रों की प्रतिलिपि तथा किन–किन व्यापारियों को सामाग्री विक्रय की गई यह चाह रहा है, साथ ही इस बात की भी जानकारी चाह रहा है कि क्रय–विक्रय की जानकारी सेल्स–टैक्स विभाग को दी गई अथवा नहीं, यह गोपनीय श्रेणी में आता है। अनुज्ञा–पत्र में सामग्री किस दर पर किसको बेची गई, यह उल्लेख रहता है। सामग्रियों के विक्रय में प्रतिस्पर्धा

रहती है तथा यह वाणिज्यिक विश्वास की श्रेणी में आता है। अतः अनुज्ञा–पत्र की प्रति एवं व्यापारी के द्वारा जमा किये गये देयकों की प्रति सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–8(डी) के अंतर्गत नहीं दी जा सकती। आयोग जन सूचना अधिकारी एवं व्यापारियों के प्रतिनिधि संघों के इस तर्क से सहमत है कि सामग्री किस दर पर किसको एवं कब बेची गई, यह जानकारी वाणिज्यिक विश्वास की श्रेणी में आती है तथा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–8(डी) के अंतर्गत अनुज्ञा–पत्र एवं देयकों की प्रति आवेदक को नहीं दिये जाने का तर्क मान्य किया जाता है। यह जानकारी देने से व्यापारियों के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा तथा व्यापारियों एवं मण्डी समिति की आपसी वाणिज्यिक विश्वसनीयता भी भंग होगी। आवेदक ने ऐसे कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किये कि यह जानकारी व्यापक लोकहित में उसके द्वारा चाही जा रही है। अतः आवेदक को उपरोक्त जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है, यह तर्क मान्य नहीं किया जा सकता।

5/ जन सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि आवेदक के पत्र दिनांक 18–04–2006 में व्यापारियों के द्वारा दिये गये मण्डी शुल्क एवं लायसेंस की जानकारी आवेदक से नियमानुसार आवश्यक शुल्क लेकर दी जावे तथा शेष जानकारी, अनुज्ञा–पत्र की प्रति, सेल्स–टैक्स विभाग को भेजी गई जानकारी एवं देयकों की प्रति अधिनियम की धारा–8(डी) के अंतर्गत विमुक्त श्रेणी में होने के कारण प्राप्त करने से निषेधित किया जाता है।

6/ आवेदक ने जानकारी निर्धारित अवधि में पूर्ण रूप से न दिए जाने के कारण यह मांग की कि सूचना अधिकारी पर अर्थदण्ड आरोपित किया जावे। प्रकरण से स्पष्ट है कि आवेदक के द्वारा प्रथम आवेदन पत्र की जानकारी निर्धारित शुल्क आवेदक द्वारा जमा करने के पश्चात् आवेदक को दी गई। व्यापारियों के द्वारा आपत्ति करने पर धारा 8(डी) के अंतर्गत प्रकरण की संबंद्धता को देखते हुए जानकारी नहीं देने का निर्णय सूचना अधिकारी ने किया है। इससे यह सिद्ध नहीं होता कि सूचना अधिकारी जानकारी न देने अथवा विलंब से देने के लिए दोषी है। आवेदक ने ऐसे कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये हैं जिससे यह सिद्ध हो कि सूचना अधिकारी–सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति के द्वारा जानबूझकर अथवा द्वेषवश आवेदक को जानकारी नहीं दी। अतः जन सूचना अधिकारी, सचिव– कृषि उपज मण्डी समिति, रायपुर पर अर्थदण्ड किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

7/ उपरोक्त निर्देशों के साथ आवेदक की शिकायत का निराकरण किया जाता है।

हस्ता0/– 24–11–2006
(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त